

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज्ञ भादालत : सपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रायतभाटा

महादेव जीरपाठ परिपुत्री शरक शिव पन्नापाल

किरप मुकदमा वाद-पत्र नं० 54 तान 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुए
	<p>पत्रावली (07) (19) व नोटिफ आदेश जतिपादी तः 02 दिनांक 16/07/2025 को पेश हो।</p>	
16 ⁰⁷ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हु P.O. साहेव उपकोषी पा. ए. ए. से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/7/25 को पेश को जावे B.P. साहेव</p>	
30 ⁷ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हु P.O. साहेव उपकोषी पा. ए. ए. से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/8/25 को पेश को जावे B.P. साहेव</p>	
13 ⁰⁸ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हु P.O. साहेव उपकोषी पा. ए. ए. से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/8/25 को पेश को जावे B.P. साहेव</p>	
25 ⁸ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हु उपकोषी पा. ए. ए. से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/09/25 को पेश को जावे B.P. साहेव</p>	
16 ⁰⁹ / ₂₀₂₅	<p>पत्रावली पेश हु। वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन-चार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई धातुपुद वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में वादी की ओर से प्रकरण में पैरती हेतु उपस्थित नही होने से बाद-पत्र इसी स्वरूप अदम हाजिरी अदम पैरती में आरिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज रजिस्ट्रम से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p>	

सपखण्ड अधिकारी रायतभाटा